



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

दिनांक

596

क्रमांक...../म.प्र.न.वि.वि.वि.आयोग/स्थापना/भोपाल

दिनांक 10/03/2021

// आदेश //

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, म.प्र. की अनुमति के आधार पर आयोग की सभा की 165वीं बैठक दिनांक 09/02/2021 के एजेण्डा क्रमांक (165)-4 में लिये गये. निर्णय के अनुक्रम में भाभा विश्वविद्यालय, भोपाल को शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु बी.एस. नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन की कार्योत्तर अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

S.no	Course	Intake	Ordinance No.
1	B. Sc. Nursing	30	22

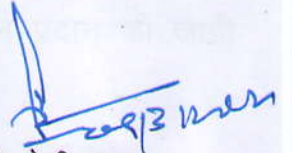
- आई.एन.सी. के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रवेश एवं सीट संख्या आई.एन.सी. की गाईडलाइन के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं आई.एन.सी. द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाइन / मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

निरंतर....2

भाभा विश्वविद्यालय, भोपाल को सत्र 2019-20 हेतु बी.एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन की कार्योत्तर अनुमति।

.....2.....

5. आई.एन.सी. नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
6. आई.एन.सी. मानक परिषदों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
7. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
8. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।
9. सत्र 2020-21 एवं 2021-22 हेतु स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से अनुमति भी प्राप्त करें।
(चेयरमेन , म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग द्वारा अनुमोदित)


(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव

म0प्र0नि0वि0वि0आयोग, भोपाल
दिनांक /03/2021

पृष्ठांकन...../ म0प्र0नि0वि0वि0आयोग/स्थापना/ भोपाल
प्रतिलिपि-

1. कुलसचिव, भाभा विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अध्यक्ष, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।


सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0आयोग, भोपाल